

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

01/11/2013

पत्रसंख्या:-5065एफए/13-350एफए/13/चित्रकूट दिनांक: 8 दिसम्बर, 2013

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)
3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),
उOप्रO परिवहन निगम,

विषय:- बुकिंग एजेण्ट के माध्यम से टिकट विक्रय एवं उसकी धनराशि निगम कोष में जमा करने के सम्बन्ध में।

निगम मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि बुकिंग एजेण्ट के माध्यम से टिकट विक्रय करने की सही प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है जिससे बुकिंग एजेण्ट द्वारा टिकट बेचकर निगम की धनराशि गबन करने के मामले भी प्रकाश में आये हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत बुकिंग एजेण्ट के माध्यम से टिकट विक्रय एवं उसकी धनराशि निगम कोष में सुरक्षित रूप से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये हैं :-

1. आप अपने सभी क्षेत्र में जांच कराकर यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त प्रकार की हेराफेरी नहीं हो रही है।
2. निगम के-सभी Cash Transactions एवं Cash Documents की जांच दिनांक 31.12.13 तक कराकर यह सुनिश्चित किया जाय कि निगम के Cash Transactions नियमानुसार समयबद्ध ढंग से किया जा रहा है ताकि भविष्य के लिये ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाय कि किसी भी स्तर पर निगम धनराशि के छीजन की कोई गुंजाइश न रहे।

आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रबन्ध निदेशक महोदय के उपरोक्त निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराकर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करे। उक्त संदर्भ में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(कृष्ण चन्द्र)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आन लाइन बुकिंग एजेण्ट द्वारा गबनित धनराशि की वसूली अविलम्ब सुनिश्चित की जाय। वसूली में हुए विलम्ब के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाय। बुकिंग एजेण्ट के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय।

2. सहायक प्रबन्धक(आईटीएमएस), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि परिवहन निगम में प्रस्तावित आईटीएमएस योजना के अन्तर्गत कैश ट्रान्जेक्शन एवं कैश डाक्यूमेंट के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था निरूपित कराना सुनिश्चित करे कि बुकिंग एजेण्ट के माध्यम से टिकट विक्रय एवं उसकी धनराशि निगम कोष में जमा कराने में किसी प्रकार के गबन आदि की संभावना न रहे।

(कृष्ण चन्द्र)
वित्त नियंत्रक